32-6

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरीक्षण
PBR/निगरानी/रतलाम/भू-अ/2017/2274

1. जवाहरलाल पिता जगदीश जाति पाटीदार
निवासी ग्राम–डेलनपुर,
तहसील व जिला–रतलाम म.प्र.
2. समरथ पिता भेरूलाल जी जाति–पाटीदार
निवासी ग्राम–डेलनपुर
तहसील व जिला–रतलाम म.प्र.

विरूद्ध

1. रघुनाथ पिता पुरूषोत्तम प्रजापति
निवासी ग्राम–डेलनपुर
तहसील व जिला–रतलाम म.प्र.
2. हरिओम पिता पुरूषोत्तम प्रजापति
निवासी ग्राम–डेलनपुर
तहसील व जिला–रतलाम म.प्र.
3. गायत्री पिता पुरूषोत्तम प्रजापति
पत्नी शांतीलाल
निवासी ग्राम–डेलनपुर
हाल मुकाम– कचलाना
तहसील व जिला–रतलाम म.प्र.
4. सुमित्रा पिता पुरूषोत्तम प्रजापति
पत्नी भूरालाल
निवासी ग्राम–डेलनपुर
हाल मुकाम ग्राम–वीरपुरा
तहसील–जावरा, जिला–रतलाम म.प्र.

5. सीताबाई पति स्व.पुरूषोत्तम प्रजापति

निवासी ग्राम–डेलनपुर

तहसील व जिला–रतलाम म.प्र.

6. रमेश पिता धुला भील

निवासी ग्राम–सरवनीजागीर

तहसील व जिला–रतलाम

तहसीलदार रतलाम ग्रामीण द्वारा प्रकरण क्रमांक–14/अ–70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16/06/2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है–

1. यह कि, तहसीलदार महोदय का विवादित आदेश अवैध, मनमाना एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अनावेदक क्रमांक–1 से 5 ने तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन संहिता की धारा–250 के अंतर्गत प्रस्तुत किया कि ग्राम जामथून की भूमि सर्वे क्रमांक–10 के वे भूमि स्वामी है उन्होने अपनी भूमि का सीमांकन कराया था जिसमें उनकी भूमि के कुछ भाग पर आवेदकगण का आधिपत्य पाया गया अतः उन्हें आधिपत्य दिलाया जायें।

3. यह कि, आवेदकगण ने प्रकरण की सूचना प्राप्त होने पर उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि आवेदक–1 भूमि सर्वे क्रमांक 6/2 एवं 12 का भूमि स्वामी है, आवेदक क्रमांक–2 सर्वे क्रमांक 13/1 का भूमि स्वामी है, आवेदकगण का अनावेदक–1 से 5 की भूमि पर आधिपत्य नहीं है।

4. यह कि, आवेदकगण ने अपने आवेदन में अभिकथन किया कि जिस सीमांकन के आधार पर धारा–250 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है वह सीमांकन एकपक्षीय रूप से आवेदको को सूचना एवं आपत्ति करने का अवसर दिये बिना किया गया था।

5. यह कि, आवेदकगण ने संहिता की धारा–32 के अंतर्गत दिये गये अपने उपरोक्त आवेदन में यह भी प्रार्थना की कि आवेदकगण कोई विवाद नहीं चाहते है इसलिये आवेदकगण की भूमि सर्वे क्रमांक 6/2, 12 एवं 13/1 के साथ ही अनावेदको की भूमि सर्वे क्रमांक–10 का भी सीमांकन एक साथ कराया जाकर विवाद का निराकरण किया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/2274

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१७ को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	